भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2131
05.08.2024 को उत्तर के लिए

निधियों का उपयोग

2131. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत शहरों द्वारा निधि के कम उपयोग की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो राज्यों को निधियन के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अब तक की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास महानगरों में निधि के उपयोग का ब्यौरा है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत , वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए 131 शहरों हेतु 19,614.44 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें से दस लाख से अधिक आबादी वाले 49 शहरों/शहरी समूहों को XVवे वित्त आयोग वायु गुणवत्ता अनुदान के तहत वित्त पोषित किया गया है और शेष 82 शहरों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत वित्त पोषित किया गया है। अब तक 131 शहरों को अपने-अपने शहरों में शहर कार्य योजना कार्यान्वित करने के लिए 11,211.13 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

131 शहरों की वित्तीय प्रगति सहित शहर कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न स्तरों पर कई समीक्षा बैठकें अर्थात् राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी और कार्यान्वयन समिति की 4-4 बैठकें, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर 31 संचालन समिति की बैठकें और 67 वायु गुणवत्ता निगरानी समिति की बैठकें तथा 436 जिला/शहर स्तर की निगरानी और कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। शहर कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिए शहरों में परियोजना प्रबंधन इकाइयां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, एनसीएपी संबंधी गतिविधियों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी के लिए क्षेत्रीय निरीक्षण करने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा शहर के स्तर पर नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है।

एनसीएपी के तहत सभी शहरों द्वारा निधियों के उपयोग के संबंध में 31 मार्च, 2023 तक 49% उपयोगिकता स्तर के मुकाबले 31, मार्च, 2024 तक 66% निधियों का उपयोग किया गया। मेट्रो शहरों में निधियों के उपयोग का विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

*****

अनुबंध-I

एनसीएपी के अंतर्गत मेट्रो शहरों में जारी की गई निधि और उसके उपयोग का विवरण

(करोड़ रुपए में)

राज्य	**शहर**	**जारी की गई निधि**	**उपयोग की गई निधि का %**
गुजरात	अहमदाबाद यूए	571.29	63.48%
गुजरात	सूरत यू.ए.	261.18	100.00%
कर्नाटक	ब्रुहट बैंगलोर यूए	541.1	30.82%
महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई यूए	938.59	72.84%
महाराष्ट्र	पुणे यूए	271.3	46.45%
राजस्थान	जयपुर यू.ए.	344.7	92.05%
तमिलनाडु	चेन्नई यूए	387.72	94.79%
तेलंगाना	हैदराबाद यूए	614.34	66.19%
पश्चिम बंगाल	कोलकाता यूए	960.27	73.80%
दिल्ली	दिल्ली	42.69	31.76%
	कुल	**4,890.49**	**69.81%**

*यूए का तात्पर्य शहरी समूह से है।

***